कॉफी बोर्ड के बारे में

भारतीय कॉफी की कथा 1600 ए डी में पौराणिक धार्मिक सन्त बाबा बूदान द्वारा कर्नाटक में 'बाबा बूदान गिरीज़' में उनके आश्रम के ऑंगन में 'मोचा' के 'सात बीजों' के रोपने से शुरु हुई। काफी समय तक के लिए ये पौधे बागान कौतूहल के रुप में बने रहे और धीरे-धीरे ये ऑंगन में फैलने लगे। 18 वीं शताब्दी के दौरान कॉफी की वाणिज्यिक खेती शुरु हुई और उन ब्रिटिश उद्यमियों की सफलता के लिए धन्यवाद जिन्होंने इस प्रतिकूल वन भू भाग को दक्षिण भारत में लाया। उसके बाद से भारतीय कॉफी उद्योग तेजी से बढ़ा और विश्व के कॉफी मानचित्र में एक अनोखी पहचान बनाया है।

भारतीय कॉफी उद्योग का बढ़त और हास

इस बीच भारत में कॉफी उद्योग ने होनी में अनेक उतार चढ़ाव देखे आरम्भ में 1860 के दशक तक वाणिज्यिक अरेबिका खेती आज के कर्नाटक, केरल और तमिल नाडू के राज्यों के वनों में तेजी से बढ़ रहे थे। अगले कुछ वर्षों के अन्दर, सफेद तना छेदक, ग्रीन बग और पत्ती किट्ट जैसे नाशिकीट और रोगों के वृहत प्रादुर्भाव ने आगे बढ़ती कॉफी उद्योग के लिए गम्भीर आशंका उत्पन्न की। सफेद तना छेदक और पत्ती किट्ट का लगातार विप्लव ने अरेबिक खेती का विनाश किया जिनके क्षेत्र उद्विग्न रुप से कम होने लगे। इससे 1900 के दशक में इण्डो-चीन से सहिष्णु रोबस्टा को लाने और उपचारी उपायों की खोज के लिए अनुसन्धान प्रयास आरम्भ करने की आवश्यकता पड़ी।

कॉफी बोर्ड और उसके क्रिया कलाप

1940 के दशक में दूसरे विश्व युद्ध के कारण बहुत कम मूल्यों और नाशिकीट और रोगों के विप्लव के परिणामस्वरुप भारत में कॉफी उद्योग निराशाजनक स्थिति में थी। इस समय, भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन एक सांविधिक अधिनियम

'1942 का कॉफी अधिनियम VII' के जरिए 'कॉफी बोर्ड' का गठन किया। बोर्ड में अध्यक्ष, जो मुख्य कार्यकारी हैं और जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है को शामिल कर 33 सदस्य हैं। शेष 32 सदस्य कॉफी उपजाने वाले उद्योग, कॉफी व्यापार हित, क्यूरिंग स्थापनाओं, श्रम और उपभोक्ता के हित, प्रमुख कॉफी उपजने

वाले राज्यों के सरकार के प्रतिनिधि और सांसद जैसे विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कॉफी बोर्ड की भूमिका

1996 में पूलिंग के समाप्त हो जाने के बाद, कॉफी बोर्ड सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला को आच्छादित करते हुए कॉफी सेक्टर के लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रुप में काम कर रहा है। इसके आन्तरिक क्रिया कलाप में अनुसन्धान एवं विकास, प्रौद्योगिकी का अन्तरण, क्वालिटी उन्नयन, उपजाऊ सेक्टर को विकास समर्थन देना, निर्यात और घरेलू बाजारों में कॉफी को प्राथमिकता देना शामिल है। बोर्ड के क्रिया कलापों का लक्ष्य (I) उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी को बढ़ाना (II) भारतीय कॉफी के लिए उच्च मूल्य निपज प्राप्त करने हेतु निर्यात संवर्धन और (III) घरेलू बाजार को विकास समर्थन देना है।

अनुसन्धान विभाग

कॉफी में संगठित अनुसन्धान का आरम्भ तत्कालिन मैसूर सरकार द्वारा 1925 में चिकमगलूर जिला में बालेहोन्नूर के पास मैसूर कॉफी प्रयोग स्टेशन सेट अप करते हुए किया गया। बोर्ड के गठन के बाद अनुसन्धान स्टेशन को उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाया गया। वर्तमान में बोर्ड का अनुसन्धान विभाग केन्द्रीय कॉफी अनुसन्धान संस्थान में अपने मुख्यालय और पॉच क्षेत्रीय स्टेशनों में 113 वैज्ञानिक कार्मिक की स्वीकृत संख्या है और यह प्रमुख नाशिकीट और रोगों की सहिष्णुता के साथ उन्नत किस्मों और उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी के उन्नयन हेतु प्रौद्योगिकी के प्रमाणीकरण के विकास में सम्मिलित है।

विस्तरण स्कन्ध

बोर्ड का विस्तरण स्कन्ध सभी प्रमुख कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में स्थित विस्तरण इकाइयों का विस्तृत नेटवर्क है जिसमें तकनीकी कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 278 है। विस्तरण कार्मिक उपजकर्ताओं को नवीनतम प्रौद्योगिकों के विकीर्णन, उपजकर्ताओं और फार्म मजदूरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करने, बोर्ड के विभिन्न विकास समर्थन, जोखिम बीमा और श्रम कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन और अन्य क्रिया कलाप जैसे फसल प्राक्कलन, फसल हानि आदि कार्यों को देखते हैं।

बाजार अनुसन्धान एवं इन्टेलिजन्स इकाई

बोर्ड में एक बाजार इंटेलिजन्स इकाई है जो अपने मुख्य कार्यालय, बेंगलूर से कार्य करता है। यह इकाई बाजार सूचना एवं इंटेलिजेंन्स, बाजार अनुसन्धान अध्ययन, फसल प्रागुक्ति और कॉफी अर्थ पहलुओं से सम्बन्धित विभिन्न क्रिया कलापों को करता है। यह इकाई डब्ल्यू टी ओ विषयों को शामिल कर कॉफी व्यापार से सम्बन्धित अनुसन्धान पर भी अध्ययन करता है। प्रख्यात प्रकाशनों में दैनिक बाजार इन्टेलिजेंस रिपोर्ट और कॉफी पर एक व्यापक डेटाबेस (तिमाही) शामिल है। वे आवधिक रिपोर्ट जिन्हें पूरा कर लिया गया है उनमें भारत में कॉफी उपभोग 2001, 2003, 2005, 2008, 2009 और कॉफी पीने की मनोवृत्ति 2007 शामिल है। इकाई ने (I) कॉफी उत्पादक देशों (भारत, वियतनाम एवं ब्राजिल) के आनुपातिक और प्रतिस्पर्धात्मकता (II) रुस और सी आई एस देशों को भारतीय कॉफी निर्यातों की प्रोन्नति पर एम ए आई योजना (III) भारतीय कॉफी निर्यातो के पारगमन मूल्य और कॉफी फुटकर पर एक मैनुअल पर अध्ययनों का समन्वयन किया। यह इकाई कॉफी उपजकर्ताओं के लिए भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना और वृष्टि बीमा योजना के कार्यान्वयन का भी समन्वयन करता है। यह इकाई बोर्ड के कार्यालयीन वेब साइट का भी रख रखाव करता है।

प्रोन्नति विभाग

प्रोन्नति विभाग निर्यात बाजार में भारतीय कॉफी की प्रोन्नति और घरेलू बाजार में कॉफी उपभोग की प्रोन्नति को देखता है।

निर्यात प्रोन्नति में भूमिका

1996 में उदारीकरण के पश्चात विपणन क्रिया कलाप अनियमित हो गए। निर्यात का कार्य निर्यातकों द्वारा किया जाता है। अत: कॉफी बोर्ड भारतीय कॉफी निर्यातों के सरलीकारक और प्रोन्नायक की भूमिका अदा करता है। तथापि, निर्यातकों के पंजीकरण की जिम्मेवारी कॉफी बोर्ड का है। पंजीकृत कॉफी निर्यातकों की कुल संख्या लगभग 395 है। आगे, बोर्ड, कॉफी अधिनियम की धारा 20 के अधीन भारतीय कॉफी निर्यात के लिए परमिट जारी करता है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी समझौता के प्रावधानों के अनुसार मूल का प्रमाण पत्र भी जारी करता है।

निर्यात संवर्धन के अन्तर्गत, फुटकर पैकों में मूल्य संवर्धित कॉफी के निर्यात और दूरस्थ स्थानों को उच्च मूल्य कॉफी निर्यात को कुछ हद तक पारगमन मूल्य

आरम्भ करने और निर्यात बाजार में भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए प्रोत्साहन दी जाती है। ये प्रोत्साहन एक ओर सं रा अ, जापान, कैनडा, आस्ट्रेलिया न्यू ज़ीलैण्ड आदि जैसे उच्च मूल्य स्थानों में भारतीय कॉफी के पदचिन्ह को बढ़ाने और हमारे पारम्परिक बाजारों जैसे यूरोपीयन संघ/रुस और सी आई एस आदि में भारतीय कॉफी के प्रवेश को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

इसके अलावा बोर्ड समुद्रपारीय भुनाईकारों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को भारतीय कॉफी की क्वालिटी के बारे में जागरुकता प्रोन्नत करने के लिए प्रमुख उपभोक्ता देशों में आयोजित प्रमुख कॉफी व्यापार शो/प्रदर्शनियों में नियमित रुप से भाग लेता है। बोर्ड फाइन कॉफी के चयन और उन्हें निर्यात बाजार में लाने के लिए फ्लेवर ऑफ इण्डिया - द फाइन कप प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है।

घरेलू संवर्धन में भूमिका

यह विभाग देश भर के प्रमुख शहरों में स्थित 12 इण्डिया कॉफी हाउस के जरिए देश में कॉफी उपभोग को प्रोन्नत करता है। इसके अलावा यह विभाग उपभोक्ताओं में भारतीय कॉफी के बारे में जागरुकता लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनियों व व्यापारों में भाग लेता है और मानव स्वास्थ्य पर कॉफी उपभोग के साकारात्मक प्रभावों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षा देता है।

भारतीय कॉफी का संक्षेप में परिचय

भारत में कॉफी परम्परागत रुप से कर्नाटक, केरल और तमिल नाडू में फैले पश्चिमी घाटों में उपजाए जाते हैं। कॉफी की खेती आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर परम्परागत क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेजी से विस्तृत हो रहा है। कॉफी वस्तुत: एक निर्यात प्रधान पदार्थ है और देश में उत्पादित कॉफी का 65% से 70% का निर्यात किया जाता है जबकि शेष का उपभोग देश में ही किया जाता है। भारतीय कॉफी उद्योग लगभग 4000 करोड़ रु तक का विदेशी विनिमय कमाता है। भारतीय कॉफी ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने लिए एक निर्दिष्ट स्थान बना लिया है और भारतीय कॉफी उच्च प्रीमियम कमा रहे हैं, विशेषकर भारतीय रोबस्टा जिसे उसकी अच्छी ब्लेंडिंग क्वालिटी के लिए अच्च प्राथमिकता दी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत से अरेबिका कॉफी की भी अच्छी मॉग है। निम्न आयात घनता और उच्च रोजगार घटक के साथ कॉफी एक निर्यात उत्पाद है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि इस सेक्टर में छ लाख से भी अधिक लोग प्रत्यक्ष रुप से नौकरी में लगे हुए हैं और इसी संख्या में लोगों को अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलता है।

कॉफी के दो मुख्य किस्म अर्थात अरेबिका और रोबस्टा भारत में उपजाए जाते हैं। अरेबिका मृदु कॉफी है, पर इसकी फलियॉं अधिक खुश्बूदार होने के कारण रोबस्टा फलियों की तुलना में इसका बाजार मूल्य अधिक है। दूसरी ओर रोबस्टा में अच्छी शक्ति है अत: भिन्न ब्लैण्ड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अरेबिका को रोबस्टा की तुलना में उच्च उन्नतांशों में उगाए जाते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का ठण्डा और सम तापमान अरेबिका के लिए उपयुक्त है जबकि रोबस्टा के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ गर्म और उष्ण तापमान उपयुक्त है। अरेबिका को अधिक देख भाल और पोषित करने की आवश्यकता है और यह बड़े जोतों के लिए उपयुक्त है जबकि रोबस्टा खेत के चाहे जो भी आकार हो सबके लिए उपयुक्त है। रोबस्टा में कटाई नवम्बर से जनवरी के बीच होती है जबकि रोबस्टा में यह दिसम्बर से फरवरी तक होती है अरेबिका सफेद तना छेदक, पत्ती किट्ट आदि जैसे नाशिकीट और रोगों के लिए सुग्राही है और इसे रोबस्टा से अधिक छॉव की आवश्यकता है।